उपस्थिति — श्री गौरी शंकर

न्यायालय—सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 — 634 / 2018

सिपाही यादव (गोप).........................वादी।

बनाम्

कपिल देवी यादव वगै0.................................प्रतिवादीगण।

01.06.2026 **आदेश**

उभय पक्ष की हाजिरी है। पुकार पर वादीगण के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 19.02.2026 अतंर्गत आदेश 22 नियम 03 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि इस वाद के वादी सं0 01 सिपाही यादव (गोप) की मृत्यु दिनांक 15.01.2026 को हो चुकी है। अनुरोध करते हैं कि मृत वादी सं0 01 सिपाही यादव (गोप) का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाय तथा मृत वादी सं0 01 के वारीसान मु0 शांति देवी, मुनीलाल यादव, मोहन यादव, सोहन यादव, शत्रुधन यादव का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाय जो न्यायहित में अति आवश्यक है। अनुरोध करते है कि उक्त आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

प्रतिवादी द्वारा उक्त आवेदन का आजतक प्रति—उत्तर दाखिल नहीं किया गया है। अतः प्रतिवादी को प्रति—उत्तर दाखिल करने से वंचित किया जाता है।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा समय सीमा के अंतर्गत है। प्रतिवादी को प्रति—उत्तर दाखिल करने से वंचित किया गया है। अतः वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 19.02.2026 अतंर्गत आदेश 22 नियम 03 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। मृत वादी सं0 01 सिपाही यादव (गोप) का नाम कलमजद करने तथा इनके वारीसान मु0 शांति देवी, मुनीलाल यादव, मोहन यादव, सोहन यादव, शत्रुधन यादव का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है।

दिनांक—29.06.2026 वास्ते आपेक्षिकांए दाखिल करने हेतू ।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)